ELECTRICITY CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM : CHANDBAD : BHOPAL 462 010.

Phone:-2747352, E-mail ecgrfbpl.bhopal@gmail.com,

No.ECGRF/Orders/ Bhopal, Date: -01-2019

To,

The Webmaster,
O/o DGM (IT),
MPMKVVCL, Nishtha Parisar,
Govindpura, Bhopal 462 023.

Sub:- Submission of Orders passed by the Forum, Bhopal in the month of December.'2018

…

In compliance to provision made under clause 3.32 of Electricity Regulation (Revision-I) 2009, the orders passed by this forum during the month of December' 2018 as detailed below are being sent herewith, both in hard and soft copy (E-mail) for uploading on the company's web site.

December'2018

S.No.	Case No.&Dt.	Name of Applicant	Name of Non-applicant	Order Date
1	बी.टी./18 23.08.2018	श्री के. जेड़ इकबाल, नगर निगम कालोनी, भोपाल।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।	31.12.2018
2	जी.टी/17 15.05.2018	श्री रामलाल शर्मा, लश्कर ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. मुरैना–2 ।	17.12.2018
3	जी.टी./56 13.08.2018	श्री रतन सिंह राजौरिया थाटीपुर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर ।	18.12.2018
4	जी.टी/60 10.09.2018	श्री विधि चन्द्र अग्रवाल, बजजिरया भिण्ड।	उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भिण्ड।	19.12.2018
5	जी.टी/73 16.10.2018	श्री नारायण राजैरिया/स्व. श्री कालीचरण राजौरिया, सिटी सेण्टर ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	26.12.2018
6	जी.टी/78 16.10.2018	श्री शरद विंचुरकर, विजय नगर से.–2, लश्कर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (केन्द्रीय) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	27.12.2018

Encl: (06) Orders A/a.

CHAIRPERSON
ECGRF BHOPAL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 17/2018

15.05.2018

श्री रामलाल शर्मा,
द्वारा श्री जगमोहन शर्मा, **(आवेदक)**
म.नं. 50, अंकित सोसायटी,
विजय नगर से0–2, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उप महाप्रबंधक,
(संचा./संधा. संभाग), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., मुरैना–2(म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 17.12.18 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./17 दिनॉक 15.05.18 को पंजीकृत कर दिनांक 08.06.18, 12.07.18, 09.08.18, 06.09.18, 12.10.18, 15.11.18 एवं 14.12.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि प्रार्थी मुरैना चम्बल संभाग के अन्तर्गत सुमावली वितरण केन्द्र के तहत सुमावली ग्राम में निवास करता था। वर्ष 2013 में मैंने विद्युत बिल का भुगतान कर अपना विद्युत कनेक्शन स्थायी रूप से समाप्त करने हेतु नियमानुसार शपथ पत्र के साथ एक आवेदन सुमावली वितरण केन्द्र में प्रस्तुत किया था। कार्यवाही न होने पर पुनः दिनांक 04.06.2014 को आवेदन दिया लेकिन, कोई कार्यवाही विभाग द्वारा दूसरे आवेदन पर भी नहीं की तब, प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.08.2017 के समस्त दस्तावेजों के साथ पुनः आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन, एक वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर समस्त दस्तावेजों के साथ निवेदन आपकी ओर प्रेषित हैं। प्रार्थी वर्तमान में 84 वर्षीय सेवा निवृत्त शिक्षक हैं एवं अपने पुत्रों के साथ ग्वालियर विनय नगर में निवासरत है। निवेदन हैं कि नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 13.09.2013 के बाद जारी बिल निरस्त करने का कष्ट करें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 15.11.18 को प्रकरण में कथन किया

गया कि प्रकरण में सुमावली वितरण केन्द्र के अन्तर्गत उपभोक्ता श्री रामलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री देवीलाल शर्मा, ग्राम सुमावली का विद्युत कनेक्शन क्रमांक 484905–71–4–2270 हैं, जिसमें माह अक्टूबर 2018 की विद्युत देयक राशि रूपये 63045/– हैं। उपभोक्ता द्वारा कार्यालयीन दस्तावेज के अनुसार पी.डी.सी. हेतु कोई आवेदन नहीं दिया गया हैं, जिससे कि कनेक्शन पी.डी.सी. किया जा सकें। शिकायतकर्ता के परिसर में कनिष्ठ यंत्री सुमावली द्वारा दिनांक 12.10.2018 को जॉच की गई, जिसमें पाया गया हैं कि उक्त शिकायतकर्ता के परिसर में विद्युत का उपयोग किया जा रहा हैं, जिस कारण शिकायतकर्ता श्री रामलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री देवीलाल शर्मा के उक्त कनेक्शन को निरस्त किया जाना संभव नहीं हैं, जिसका सत्यापन सहायक प्रबंधक सुमावली द्वारा किया गया एवं मौके पर उक्त शिकायतकर्ता के परिसर के फोटों भी लिये गये हैं, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किये जा रहे हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री रामलाल शर्मा/स्व. श्री देवीलाल शर्मा के नाम पर एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 484905–71–4–2270 संयोजित विद्युत भार 1000 वॉट ग्राम सुमावली में स्थित हैं, क उपयोग करते थें। आवेदक वर्ष 2013 तक ग्राम सुमावली में ही निवास करते थें। आवेदक शासकीय सेवा निवृत्त शिक्षक हैं एवं वर्तमान में अपने पुत्रों के साथ ग्वालियर में विनय नगर में निवासरत हैं। कभी कभी वह ग्राम सुमावली अपने कृषि से फसल के समय आते रहते हैं। बाकी समय मकान में कोई नहीं रहता और मकान बंद रहता हैं। इसलिये वर्ष 2013 में 20 सितम्बर 2013 को विद्युत बिल की बकाया राशि रूपये 10,395/– जमा कर नियमानुसार विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कराने हेतु एक आवेदन मय शपथपत्र के सुमावली वितरण केन्द्र में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर कोई कार्यवाही न होने पर पुनः दिनांक 04.06.2014 को आवेदन दिया जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके पश्चात दिनांक 23.03.2017 को एक आवेदन समस्त दस्तावेजों के साथ निवेदन किया गया, जिसके एक वर्ष बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे व्यथित होकर यह आवेदन समस्त दस्तावेजों के साथ निवेदन हैं कि मेरा विद्युत संयोजन स्थाई रूप से विच्छेदित कराने की कृपा करें।

अनावेदक द्वारा प्रकरण जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आवेदक द्वारा उनके विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित करने हेतु दिया गया आवेदन कार्यालय में नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे विद्युत संयोजन स्थाई रूप से विच्छेदित किया जा सकें। दिनांक 12.10.2018 एवं 11.12.2018 को कनिष्ठ यंत्री द्वारा आवेदक के परिसर की जॉच की गई एवं पाया गया कि परिसर में विद्युत का उपयोग होता पाया गया हैं, जिसके फोटोग्राफ एवं वीडियाग्राफी से पुष्टि होती हैं तथा एक पंचनामा बनाया गया हैं,

जिसमें पड़ौसियों ने बताया हैं कि श्री रामलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री देवीलाल शर्मा अपने घर पर उपस्थित नहीं थें। श्री रामलाल शर्मा की पुश्तैनी जमीन ग्राम सुमावली में हैं। खेती के कार्य हेतु सुमावली में अपने मकान पर आना–जाना रहता हैं तथा तभी विद्युत का उपयोग किया जाता हैं।

उपभोक्ता पासबुक एवं मीटर रीडिंग डायरी का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2012 से नवम्बर 2018 तक आंकलित खपत के विद्युत देयक जारी किये गये हैं। वर्ष 2012 से नवम्बर 2018 तक की अवधि में आवेदक ने 20 नवम्बर 2012 को रूपये 10,395/– का भुगतान किया गया हैं। जिससे आवेदक का यह कहना सही प्रतीत होता हैं कि आवेदक ने अपने विद्युत संयोजन की बकाया राशि का भुगतान कर उसे स्थाई रूप से विच्छेदित करने का निवेदन किया था। इसके पश्चात दिनांक 04.06.2014 को भी निवेदन किया था, जिस पर अनावेदक ने कोई कार्यवाही नहीं की और आवेदन के विद्युत संयोजन के विद्युत देयक जारी रहें। यह अनावेदक की सेवा में कमी को दर्शाता हैं। लेकिन आवेदक द्वारा भी अपने परिसर में विद्युत का उपयोग किया जाता रहा हैं। आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में प्रकरण दर्ज किये जाने के बाद दिनांक 12.10.2018 को आवेदक के परिसर का भौतिक निरीक्षण करने पर विद्युत का उपयोग पाया गया,जिसके फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफ भी फोरम के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

अनावेदक द्वारा प्रकरण के निराकरण में प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं आवेदक द्वारा सितम्बर 2013 के बाद अपने परिसर में विद्युत का उपयोग, जब जब वह अपने कृषि कार्य हेतु सुमावली आते थें, किया हैं को संज्ञान में रखते हुए आवेदक को माह अक्टूबर 2013 से नवम्बर 2016 तक की अवधि में जारी आंकलित खपत को हटाकर टैरिफ मिनिमम या न्यूनतम प्रभार लेकर विद्युत देयक संसोधित कर भुगतान योग्य राशि का विद्युत देयक दिया जाना फोरम के समक्ष स्वीकार किया गया। जिस पर आवेदक ने फोरम के समक्ष यह स्वीकार किया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ एवं उसके परिसर पर विद्युत का उपयोग होते हुए मोबाईल में वीडिया रिकार्डिंग उसके परिसर की होना स्वीकार किया गया तथा सितम्बर बिल्ड अक्टूबर 2013 से नवम्बर 2018 तक की अवधि के टेरिफ मिनिमम या न्यूनतम प्रभार लेकर संशोधित विद्युत देयकों की भुगतान योग्य राशि का भुगतान करना स्वीकार किया गया।

उपरोक्त विवेचना के उपरांत फोरम इस नतीजे पर पहुॅचा हैं कि आवेदक के आवेदन देने के उपरांत भी अनावेदक द्वारा उसके विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित नहीं किया गया। यह अनावेदक की सेवा में कमी दर्शाता हैं तथा अनावेदक द्वारा विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित नहीं करने पर भी आवेदक ने अपने परिसर में विद्युत का उपयोग किया जाता रहा। अतः आवेदक को मीटर में दर्ज खपत

के अनुसार या विद्युत के उपयोग अनुसार टैरिफ मिनिमम या न्यूनतम प्रभार के विद्युत देयकों का भुगतान किया जाना चाहिये, जो कि विधि एवं न्याय संगत हैं।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

7. **फोरम का निर्णय :–** अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि आवेदक का जारी सितम्बर बिल्ड अक्टूबर 2013 से नवम्बर 2018 तक की अवधि में आंकलित खपत हटाकर तत्समय प्रचलित टेरिफ मिनिमम या न्यूनतम प्रभार लेकर संशोधित विद्युत देयक आवेदक को दिये जाए, जिसके भुगतान करने के उपरांत आवेदक की सहमति से विद्युत संयोजन तुरन्त विच्छेदित कर दिया जावें।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए। आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन की एक एक प्रति फोरम एवं आवेदक को प्रेषित करें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 17 / 12 / 2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य(राजस्व एवं लेखा) **सदस्य(अभियांत्रिकी)** **अध्यक्ष**

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री रामलाल शर्मा,
द्वारा श्री जगमोहन शर्मा,
म.नं. 50, अंकित सोसायटी,
विजय नगर से0–2, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 17 / 12 / 2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–17 / 2018) दिनांक 15.05.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 17 / 12 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उप महाप्रबंधक,(संचा. / संधा. संभाग), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., मुरैना–2 (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–17 / 2018 दिनांक 15.05.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 17 / 12 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 73/2018

16.10.2018

श्री नारायण राजोरिया/स्व. श्री कालीचरण राजोरिया
33/20, जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर, **(आवेदक)**
पर्यटन भवन के पीछे, सिटी सेण्टर,
ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उप महाप्रबंधक,
(शहर संभाग, पूर्व), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर(म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 26.12.18 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./73 दिनॉक 16.10.18 को पंजीकृत कर दिनांक 15.11.18 एवं 14.12.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक की ओर से उपस्थित उनके अधिवक्ता श्री राजेश मित्तल द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि

1. यह कि उपरोक्त वर्णित परिसर में आवेदक के नाम से उक्त घरेलू कनेक्शन लगा हुआ है, जो 500 वॉट भार के लिये स्वीकृत है। आवेदक के परिसर में स्थापित उक्त कनेक्शन के बिल आवेदक द्वारा नियमित रूप से अनावेदक कंपनी में जमा किये जाते रहे हैं।

2. यह कि आवेदक को हार्ट की बीमारी हो गई थीं, जो वर्ष 2014 में काफी बढ़ गई थीं, जिसके कारण आवेदक कुछ माह तक उक्त कनेक्शन के बिल जमा नहीं कर पाया, जिस पर आवेदक का बिल काफी बढ़ गया। उक्त बिल बढ़ जाने पर आवेदक ने अनावेदक कंपनी में बिलों में सुधार कर सरचार्जेज हटाने एवं बिलों को किश्तों में जमा करने का निवेदन किया।

3. यह कि, आवेदक द्वारा किये गये उक्त निवेदन पर अनावेदक कंपनी ने आवेदक के बिलों में कोई सुधार नहीं किया बल्कि दिनांक 30.12.2015 को अनावेदक ने आवेदक के कनेक्शन को बिना किसी सूचना के खंबे से विच्छेदित कर दिया।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

4. यह कि, अनावेदक द्वारा उक्त कनेक्शन को काटने पर आवेदक, अनावेदक कार्यालय गया तथा अनावेदक को अपनी परेशानी बताकर उक्त कनेक्शन को जोड़ने तथा बिलों में रियायत बरतते हुए बिलों की राशि को किश्तों में जमा करने की सुविधा देने का निवेदन किया, जिस हेतु आवेदक द्वारा एक लिखित आवेदन भी दिनांक 01.01.2016 को सहायक यंत्री सिटी सेण्टर को दिया, जिसे सहायक यंत्री सिटी सेण्टर द्वारा न लेने पर आवेदक ने उक्त आवेदन साधारण डाक के माध्यम से सहायक यंत्री सिटी सेण्टर को भेजा।

5. यह कि आवेदक द्वारा उक्त आवेदक भेजने के पश्चात अनावेदक ने आवेदक का उक्त कनेक्शन नहीं जोड़ा बल्कि इसके विपरीत अनावेदक ने दिनांक 18.03.2016 को आवेदक के कनेक्शन की केबल एवं मीटर यह कहकर निकाल लिया कि यह मीटर और केबल हमारी सम्पत्ति है।।

6. यह कि अनावेदक द्वारा उक्त कनेक्शन की मीटर एवं केबल ले जाने पर आवेदक उक्त दिनांक 18.03.2016 को अनावेदक के कार्यालय गया तथा अनावेदक से मीटर स्थापित कर उक्त कनेक्शन चालू करने एवं बिलों को किश्तों में जमा करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया।

7. यह कि आवेदक द्वारा दिये गये उक्त आवेदन पर से अनावेदक ने आवेदक के कनेक्शन चालू नहीं किया न ही मीटर स्थापित किया, जिस पर अनावेदक ने पुनः दिनांक 21.04.2016 को सहायक यंत्री सिटी सेण्टर जोन को साधारण डाक के माध्यम से भेजा, परन्तु उसके बाद भी अनावेदक के कनेक्शन को चालू नहीं किया गया।

8. यह कि अनावेदक द्वारा आवेदक के कई बार निवेदन करने एवं आवेदन देने के बाद भी उक्त कनेक्शन चालू न किये जाने पर आवेदक ने पुनः दिनांक 28.05.2016 को एक लेखी आवेदन मुख्य अभियंता कार्यालय, मोती झील ग्वालियर एवं कार्यपालन यंत्री संभाग पूर्व को दिया, जिसकी प्रतिलिपि भी आवेदक द्वारा दिनांक 30.05.2016 को सिटी सेण्टर जोन पर दी गई।

9. यह कि आवेदक द्वारा उक्त आवेदन देने के पश्चात भी अनावेदक तथा अनावेदक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवेदक के उक्त कनेक्शन को जोड़ने की कार्यवाही नहीं की गई। आवेदक के कई बार निवेदन करने के बाद भी अनावेदक द्वारा आज दिनांक तक आवेदक के कनेक्शन चालू नहीं किया गया हैं और न ही उक्त कनेक्शन का मीटर लगाया गया हैं।

यहॉ यह उल्लेखनीय हैं कि अनावेदक द्वारा आवेदक को उक्त कनेक्शन को केबल एवं मीटर निकालकर दिसम्बर 2015 में विच्छेद करने एवं दिनांक 18.03.2016 को उक्त कनेक्शन की मीटर एवं केबल ले जाने के बाद भी उक्त कनेक्शन के माह जनवरी 2016

से वर्तमान तक के बिल कनेक्शन के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उपयोग बताते हुए आंकलित खपत के जारी किये जा रहे हैं। जबकि उक्त कनेक्शन दिसम्बर 2015 से आज दिनांक तक कटा हुआ हैं।

10. यह कि आवेदक के कई बार निवेदन करने के बाद भी अनावेदक द्वारा उक्त गलत आधार पर जारी बिलों को निरस्त नहीं किया जा रहा हैं और न ही आवेदक के उक्त कनेक्शन चालू किया जा रहा हैं। अनावेदक के उक्त विधि विरूद्ध कृत्य से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह अभ्यावेदन विधिक निराकरण हेतु माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

11. यह कि अनावेदक द्वारा आवेदक के उक्त कनेक्शन को आवेदक के कई बार निवेदन के बाद भी चालू न करने पर आवेदक ने विद्युत की मूलभूत आवश्यकता होने के कारण किश्तों पर भुगतान की सुविधा का लाभ लेकर अपने परिसर में सौर ऊर्जा का प्लाण्ट लगवाना पड़ा जिससे आवेदक केवल अपने परिसर के अंधेरे को दूर कर पा रहा हैं।

अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि आवेदक को वांछित राहत स्वरूप प्रदान किया जावेंः–

12. यह कि अनावेदक द्वारा उक्त कनेक्शन क्रमांक 904–27–2074103000 के माह दिसम्बर 2015 के बाद से वर्तमान तक के जारी समस्त विद्युत बिल निरस्त कराये जाकर विधि अनुसार संशोधित बिल बिना कोई सरचार्जेज जोड़े एवं आंकलित खपत की यूनिट हटाते हुए जारी कराये जावें।

13. यह कि आवेदक के परिसर में मीटर स्थापित कराकर उक्त कनेक्शन को केबल लगवाकर चालू कराया जावें।

14. यह कि आवेदक को अनावेदक के कृत्य से हुई आर्थिक एवं मानसिक परेशानी के लिये कनेक्शन काटने की दिनांक 30.12.2015 से 100/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जा दिलाया जावें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 15.11.18 को प्रकरण में कथन किया कि उपभोक्ता पर बकाया राशि होने के कारण दिनांक 24.03.2016 को एफ आर 8484 पर मीटर बकाया राशि होने पर निकाला गया था एवं प्रकरण में पूर्व माह 09/15 से 06/16 तक लगी आंकलित खपत को हटाकर दिनांक 28.03.2016 को सी सी बी द्वारा रूपये 4609/– का क्रेडिट दे दिया गया था। प्रकरण में पुनः 13.11.2018 को कार्यालयीन टीप बनाकर विद्युत का उपयोग न होने के कारण माह 08/16 से 10/18 तक लगी आंकलित खपत हटाकर एवं टी एम एम लिया जाकर सी सी एण्ड बी द्वारा रूपये

6764/– का क्रेडिट पुनः दिया गया हैं। इस प्रकार उपभोक्ता को कुल 11373/– का क्रेडिट दिया जा चुका हैं। उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की जा रही हैं एवं वर्तमान माह 11/18 तक उपभोक्ता के विरूद्ध 86398/– बकाया शेष हैं।

यह कि उपभोक्ता द्वारा पूर्व में भी माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण ग्वालियर में समक्ष प्रकरण क्रमांक 320/2016 पर प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसकी छायाप्रति संलग्न हैं। प्रकरण में दिनांक 26.09.2016 को माननीय फोरम द्वारा आदेशित किया गया कि ''अनावेदक द्वारा सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी व अनुचित व्यापार व्यवहार किया जाना प्रमाणित नहीं पाते हुए परिवादी के द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निरस्त की जाती हैं। ''परिवाद का अंतिम रूप से निराकरण हो जाने के कारण इस उपभोक्ता फोरम के द्वारा दिनांक 01.08.2018 को पारित अंतरिम आदेश आज की दिनांक से प्रभावी नहीं रहेगा। प्रकरण का वय पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः**–अनावेदक द्वारा दिनांक 15.11.2018 को प्रकरण में फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि उपभोक्ता पर विद्युत बिलों की राशि बकाया होने के कारण दिनांक 24.03.2016 को अंतिम रीडिंग 8484 पर विद्युत मीटर निकाल दिया गया एवं सितम्बर 2015 से जून 2016 तक तथा माह अगस्त 2016 से अक्टूबर 2018 तक लगी आंकलित खपत हटाकर क्रमशः राशि रूपये 4609/– एवं रूपये 6764/– कुल राशि रूपये 11373/– का क्रेडिट उपभोक्ता को दिया जा चुका हैं एवं वर्तमान में उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि जमा न करने के कारण राशि रूपये 86398/– बकाया शेष हैं। प्रकरण में उपभोक्ता द्वारा पूर्व में भी इन्हीं बिन्दुओं को लेकर माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण फोरम ग्वालियर में समक्ष प्रकरण क्रमांक 320/2016 पर प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें दिनांक 26.09.2016 को माननीय फोरम द्वारा आदेश पारित किया गया। अनावेद द्वारा सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी व अनुचित व्यापार व्यवहार किया जाना प्रमाणित नहीं होता हैं। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद निरस्त की जाती हैं एवं दिनांक 01.08.2018 को पारित अंतरिम आदेश आज की दिनांक से प्रभावी नहीं रहेगा। आवेदक ने अपने विद्युत संयोजन के विद्युत बिलों की बकाया राशि का भुगातन नहीं करने के कारण उसका विद्युत संयोजन विच्छेदित किया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

आवेदक प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 14.12.2018 को फोरम के समक्ष प्रकरण में कथन किया गया कि अनावेदक द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया, उस जवाब में एवं मौके पर बनाया गया भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट में अनावेदक ने स्वीकार किया कि अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर से दिनांक 24.03.2016 को विद्युत मीटर एवं विद्युत केबल निकाल कर विद्युत संयोजन को पूर्णतः विच्छेदित कर दिया गया था परन्तु,

उसके बावजूद भी अनावेदक द्वारा उक्त विद्युत संयोजन की आज दिनांक तक आंकलित खपत के विद्युत बिल जारी किये जा रहे हैं, जबकि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में दिये गये

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

प्रावधानों के अनुसार अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर से विद्युत मीटर एवं केबल निकाल कर कनेक्शन को पूर्णतः विच्छेदित की स्थिति में मीटर निकालने की दिनांक से तीन माह की टैरिफ मिनीमम या न्यूनतम प्रभार की बिलिंग करते हुए विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित करना चाहिये था। यदि अनावेदक द्वारा उक्त विद्युत संयोजन का मीटर एवं केबल निकालने की दिनांक से तीन माह की टैरिफ मिनीमम या न्यूनतम प्रभार की बिलिंग करने के बाद विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाता हैं तो आवेदक संयोजित विद्युत बिल की बकाया राशि जमा करने को तैयार हैं। विषय में आवेदक का माननीय फोरम से यह भी निवेदन हैं कि आवेदक को बिल की बकाया राशि जमा करने के लिये चार किश्तों में जमा करने के आदेश भी देने का कष्ट करें। अतः निवेदन हैं कि उपरोक्त निवेदन के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावें। यही निवेदन हैं।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री नारायण राजोरिया/स्व. श्री कालीचरण के नाम का एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424904–27–16–2074103000, संयोजित विद्युत भार 500 वॉट, 33/20, जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर, पर्यटन भवन की पीछे सिटी सेण्टर, ग्वालियर में स्थित हैं, के विद्युत देयकों की राशि बकाया होने के कारण अनावेदक द्वारा विद्युत संयोजन का दिनांक 24.03.2016 को मीटर में दर्ज अंतिम वाचन 8484 पर निकाल कर विद्युत केबल भी निकाल लिया गया था, के उपरांत आवेदक द्वारा कई बार निवेदन किया कि वह विद्युत बिलों की बकाया राशि का भुगतान धीरे धीरे कर देगा, के उपरांत भी अनावेदक द्वारा विद्युत संयोजना को नहीं जोड़ा और लगातार दिनांक 23.03.2016 को मीटर एवं केबल निकाल लेने के बाद से आंकलित खपत लगा कर एवं टैरिफ मिनीमम/न्यूनतम प्रभार के विद्युत देयक आज दिनांक तक दिये जा रहे है। जबकि आवेदक ने उसके परिसर से विद्युत मीटर एवं केबल निकालने के बाद विद्युत का उपयोग नहीं किया गया। इसलिये आवेदक ने फोरम से निवेदन किया कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में दिये गये प्रावधान अनुसार अनावेदक द्वारा विद्युत संयोजन से विद्युत मीटर एवं केबल निकाल लेने की दिनांक से तीन महीने तक की बिलिंग टैरिफ मिनिमम/न्यूनतम प्रभार के विद्युत देयक देकर विद्युत संयोजन स्थाई रूप से विच्छेदित कर तथा आंकलित खपत हटाकर विद्युत देयक संशोधित कर विद्युत मीटर दिनांक 23.03.2016 को निकालकर तीन माह टैरिफ मिनिमम/न्यूनतम प्रभार के विद्युत देयक

संशोधित करने तक की बकाया राशि का भुगतान करने को आवेदक सहमत हैं। इसके बाद के सभी जारी विद्युत देयक निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया हैं।

आवेदक के विद्युत संयोजन पर विद्युत बिल की बकाया राशि रूपये 53824/– होने के कारण दिनांक 30.12.2015 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

आवेदक द्वारा उसके विद्युत संयोजन के विद्युत देयकों की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर अस्थाई रूप से विच्छेदित विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर एवं सर्विस केबल दिनांक 23.03.2016 को निकाल लिया गया तथा सितम्बर 2015 से जून 2016 तक की अवधि में आवेदक के विद्युत देयकों में लगी आंकलित खपत हटाकर टैरिफ मिनिमम/न्यूनतम प्रभार लेकर विद्युत देयक संशोधित करने के उपरांत आवेदक को दिनांक 28.07.2016 को सीसीबी द्वारा रूपये 4609/– की क्रेडिट दे दी गई थीं के पश्चात भी आवेदक को अगस्त 2016 से अक्टूबर 2018 तक टैरिफ मिनिमम एवं आंकलित खपत लगाकर विद्युत देयक जारी किये गये थें, से आंकलित खपत हटाकर टैरिफ मिनिमम/न्यूनतम प्रभार लेकर विद्युत देयक संशोधन उपरांत रूपये 6764/– की क्रेडिट पुनः दी गई। इस प्रकार कुल क्रेडिट रूपये 11373/– आवेदक को दी जा चुकी हैं तथा नवम्बर 2018 की स्थिति में आवेदक पर बकाया राशि रूपये 86398/– शेष हैं।

उपरोक्त विवेचना के उपरांत फोरम इस नतीजे पर पहुॅचा हैं कि आवेदक के विद्युत संयोजन को विद्युत बिल की बकाया राशि होने के कारण अस्थाई रूप से दिनांक 30 दिसम्बर 2016 को विच्छेदित किया गया था, के पश्चात भी आवेदक द्वारा विद्युत देयक की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण दिनांक 23.03.2016 को आवेदक के विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर एवं सर्विस लाईन निकालकर स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया हैं।

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 7 की कण्डिका 7.27 अनुबंध का समापन (Termination of agreement) :- यदि किसी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के किसी निर्देश का पालन न करने के कारण साठ दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहता हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अनुबंध के समापन के लिये पन्द्रह दिवस का नोटिस जारी करेगा। यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने के लिये या विद्युत प्रदाय पुनर्स्थापित करने

के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो नोटिस की अवधि समाप्त होने के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी का अनुबंध समाप्त हो जाएगा। बशर्ते अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि समाप्त हो चुकी हों। संयोजन को भी स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अन्य उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को प्रभवित किये बगैर उक्त विशिष्ट त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के संयोजन की विद्युत प्रणली(नेटवर्क) से हटा लिया जाएगा। ऐसे प्रकरणों

में संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा। अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरन उपभोक्ता को अनुबंध की प्रारंभिक अविध के अन्तर्गत प्रयोज्य टैरिफ आदेश के अनुसार स्थाई प्रभार अथवा न्यूनतम प्रभार का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। ऐसे प्रकरणों में, संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अनुबंध का समापन अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के पश्चात किया जा सकेगा।

उपरोक्त कण्डिका के प्रकाश में आवेदक के विद्युत संयोजन की अुनबंध की अवधि समाप्त हो चुकी हैं तथा विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित करने की

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

दिनांक 23.03.2016 के बाद आवेदक को जारी समस्त विद्युत देयक निरस्त किये जाते हैं तथा अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि आवेदक के विद्युत संयोजन पर मार्च बिल्ड अप्रैल 2016 की स्थिति में पूर्व में लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर संशोधन

उपरांत भुगतान योग्य बकाया राशि वसूली योग्य हैं जो कि आवेदक से वसूल की जाना चाहिये, जिसका भुगतान आवेदक द्वारा करना चाहिये।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए। आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन की एक प्रति आवेदक को प्रेषित करते हुए एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 26 / 12 / 2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य(राजस्व एवं लेखा) **सदस्य(अभियांत्रिकी)** **अध्यक्ष**

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री नारायण राजोरिया / स्व. श्री कालीचरण राजोरिया
33 / 20, जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर,
पर्यटन भवन के पीछे, सिटी सेण्टर,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 26 / 12 / 2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–73 / 2018) दिनांक 16.10.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 16 / 12 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उप महाप्रबंधक,(शहर संभाग, पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–73 / 2018 दिनांक 16.10.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 26 / 12 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 78/2018

16.10.2018

श्री शरद विंचुरकर
द्वारा श्री जगमोहन शर्मा, **(आवेदक)**
म.नं. 50, अंकित सोसायटी,
विजय नगर से0-2, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उप महाप्रबंधक,
(शहर संभाग, केन्द्रीय), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर(म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 27.12.18 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./78 दिनॉक 16.10.18 को पंजीकृत कर दिनांक 15.11.18 एवं 14.12.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-** आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि विद्युत कनेक्शन क्रमांक 2049662000 कुमारी प्रतिभा पंडित पुत्री श्री दिनकर पंडित के नाम से मेरे भवन में मेरी बिना अनुमति से आपके द्वारा दिया गया था, क्योंकि कुमारी प्रतिभा पंडित आपके कार्यालय में ही सर्विस करती थीं व आज भी कर रहीं हैं। वर्तमान में उनकी पद स्थापना जबलपुर में हैं। कुमारी प्रतिभा पंडित ने विद्युत कंपनी में ही सेवारत कर्मचारी से विवाह कर लिया हैं। इस कारण वर्तमान में विद्युत कंपनी में प्रतिभा के पति के नाम के कारण कुमारी के स्थान पर श्रीमती प्रतिभा शेडवई हो गया हैं। उसका पति भी विद्युत कंपनी में ही जबलपुर में सेवारत हैं। कुमारी प्रतिभा पंडित का भाई बलवंत दिनंकर सेक्टर-2, 81 विनय नगर, ग्वालियर में निवास कर रहा हैं। उसका मोबाईल नंबर 9300423755 हैं। कुमारी प्रतिभा पंडित के पिता दिनकर पंडित तथा मॉ दोनों का ही निधन हो चुका हैं। मकान में वर्तमान में कुमारी प्रतिभा पंडित के परिवार का कोई भी सदस्य निवास नहीं कर रहा हैं। विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 9.12 एवं 9.13 के अनुसार

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

भुगतान में चूक करने वाले प्रकरण का मानीटर किया जाना तथा स्थायी रूप से संयोजन को विच्छेद हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाना आवश्यक हैं। किन्तु उपभोक्ता आपके विद्युत विभाग से संबंधित होने के कारण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी हैं।

अतः निवेदन हैं कि घरेलू विद्युत कनेक्शन क्रमांक 2049662000 को स्थायी रूप से विच्छेदित करें तथा बकाया वसूली हेतु श्रीमती प्रतिभा शेडवई जो वर्तमान में जबलपुर में पदस्थ हैं, से वसूल करने की कार्यवाही करें तथा प्रतिभा पंडित के भाई श्री बलवंत दिनकर पंडित निवासी सेक्टर–2, 81 विनय नगर, ग्वालियर मोबा. 9300423755 से वसूली की कार्यवाही करने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 15.11.18 को प्रकरण में कथन किया कि कनेक्शन क्रमांक 2049662000, जो कि कुमारी प्रतिभा पंडित के नाम से हैं, के संबंध में संबंधित जोन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 252, दिनांक 05.11.2018 से अवगत कराया गया कि कुमारी प्रतिभा पंडित का विद्युत कनेक्शन एफ.आर. 28 पर दिनांक 19. 09.2018 को स्थायी रूप से विच्छेदित किया जा चुका हैं। उपभोक्ता अपने परिसर में निवासरत नहीं हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–**आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना करने के उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री शरद विंचुरकर द्वारा कुमारी प्रतिभा पण्डित के नाम से एक फेज घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2049662000 स्वीकृत विद्युत भार 360 वॉट, विंचुरकर की गोठ, चावड़ी बाजार, लश्कर, ग्वालियर में स्थित हैं। यह विद्युत संयोजन आवेदक के किरायेदार श्री दिनकर पण्डित की पुत्री कुमार प्रतिभा पण्डित, तत्समय मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, ग्वालियर के कार्यालय में ही सर्विस करती थीं व आज भी कर रही हैं। वर्तमान में उनकी पद स्थापना जबलपुर में हैं। कुमारी प्रतिभा पण्डित ने विद्युत मण्डल में ही जबलपुर में सेवारत कर्मचारी से विवाह कर लिया हैं। इस कारण वह भी अपने पति के साथ जबलपुर में सेवारत हैं। कुमारी प्रतिभा पण्डित के पिता श्री दिनकर पण्डित तथा माताजी दोनों का निधन हो चुका हैं। मकान में वर्तमान में कुमारी प्रतिभा पण्डित के परिवार का कोई भी सदस्य निवास नहीं कर रहा हैं, लेकिन अनावेदक द्वारा विद्युत बिल लगातार अभी भी दिये जा रहे हैं।

अतः श्रीमानजी से निवेदन हैं कि विद्युत संयोजन क्रमांक 2049662000 को विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 9.12 एवं 9.13 के अनुसार विद्युत देयकों के भुगतान में चूक करने वाले उपभोक्ता पर अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह उपभोक्ता के संयोजन को अस्थाई विच्छेदन के बगैर अधिकतम तीन माह की युक्तियुक्त अवधि के अध्यधीन जारी न रखा जाना सुनिश्चित करें। अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी का

भी यह दायित्व होगा कि वह भुगतान में चूक करने वाले सभी प्रकरणों का नियमित रूप से अनुवीक्षण (मॉनीटर) किया जाना सुनिश्चित करें तथा अस्थाई या स्थाई रूप से संयोजन के विच्छेदन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्परता से समयबद्ध कार्यवाही की पहल करें। उपरोक्त के तहत कार्यवाही कर कुमारी प्रतिभा पण्डित के नाम के विद्युत संयोजन क्रमांक 2049662000 को स्थाई रूप से विच्छेदित करने की कार्यवाही का निवेदन किया गया।

अनावेदक द्वारा कुमारी प्रतिभा पण्डित के नाम से घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2049662000 को दिनांक 19.09.2018 को मीटर में दर्ज अंतिम वाचन 28 पर निकालकर स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया हैं तथा विद्युत संयोजन पर विद्युत देयकों की बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही हैं।

उपरोक्त विवेचना के उपरांत फोरम इस निर्णय पर पहुॅचा हैं कि घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2049662000 विंचुरकर की गोठ, चावड़ी बाजार, ग्वालियर श्री शरद विंचुरकर के परिसर में किरायेदार कुमारी प्रतिभा पण्डित के नाम से था। कुमारी प्रतिभा पण्डित की शादी हो जने पर उसने अपना ट्रांसफर जबलपुर करवा लिया और वह वहीं पर कार्यरत हैं। उसके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण यह परिसर खाली हैं तथा काफी समय से विद्युत का उपयोग भी नहीं हो रहा था। उपभोक्ता पासबुक के अनुसार दिसम्बर 2013 से 5 सितम्बर 2014 तक की अवधि में भी विद्युत खपत शून्य दर्ज रहीं हैं एवं टैरिफ मिनिमम/न्यूनतम प्रभार के विद्युत देयक जारी किये जाते रहें। जिसका अंतिम भुगतान रूपये 2501/– दिनांक 24.08.2014 को किया गया। इससे यह प्रतीत होता हैं कि विद्युत संयोजन का उपयोगकर्ता कुमारी प्रतिभा पण्डित द्वारा अपना ट्रांसफर हो जाने के बाद परिसर खाली कर दिया गया था। इस कारण विद्युत का उपयोग नहीं हुआ और अनावेदक द्वारा टैरिफ मिनीमम के विद्युत देयक जारी होते रहें एवं जिसका भुगतान 24 अगस्त 2014 को किया गया। इसके पश्चात भी अनावेदक द्वारा सितम्बर 2014 से सितम्बर 2018 तक लगातार विद्युत का उपयोग न होने के बावजूद विद्युत देयक जारी किये जाते रहें, जिसका भुगतान भी नहीं किया गया।

अनावेदक को विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 9 की कण्डिका 9.13 के अनुसार कार्यवाही करना थी, जो कि उनके द्वारा नहीं की गई। यह सेवा में कमी को दर्शाता हैं।

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 7 की कण्डिका 7.27 अनुबंध का समापन (Termination of agreement) :- यदि किसी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के किसी निर्देश का पालन न करने के कारण साठ दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहता हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अनुबंध के समापन के लिये पन्द्रह दिवस का नोटिस जारी करेगा। यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने के लिये या विद्युत प्रदाय पुनर्स्थापित करने

के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो नोटिस की अवधि समाप्त होने के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी का अनुबंध समाप्त हो जाएगा। बशर्ते अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि समाप्त हो चुकी हों। संयोजन को भी स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अन्य उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को प्रभवित किये बगैर उक्त विशिष्ट त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के संयोजन की विद्युत प्रणली(नेटवर्क) से हटा लिया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा। अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरन उपभोक्ता को अनुबंध की प्रारंभिक अविध के अन्तर्गत प्रयोज्य टैरिफ आदेश के अनुसार स्थाई प्रभार अथवा न्यूनतम प्रभार का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। ऐसे प्रकरणों में, संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अनुबंध का समापन अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के पश्चात किया जा सकेगा।

उपरोक्त कण्डिका के तहत अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि विद्युत संयोजन क्रमांक 2049662000 की अंतिम बकाया भुगतान राशि रूपये 2501/– दिनांक 24.08.2014 के बाद तीन माह के सितम्बर, 14, अक्टूबर 14 एवं नवम्बर 14 तक तत्समय टैरिफ मिनिमम/न्यूनतम प्रभार के विद्युत देयक जारी करें। विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जावें तथा शेष जारी विद्युत देयकों (दिसम्बर 2014 से सितम्बर 2018) तक को निरस्त किया जावें।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए। आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन की एक प्रति आवेदक को प्रेषित करते हुए एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 27/12/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस. मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	सदस्य(अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री शरद विंचुरकर
द्वारा श्री जगमोहन शर्मा,
म.नं. 50, अंकित सोसायटी,
विजय नगर से0–2, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 27 / 12 / 2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–78 / 2018) दिनांक 16.10.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 27 / 12 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उप महाप्रबंधक,(शहर संभाग, केन्द्रीय), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–78 / 2018 दिनांक 16.10.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 27 / 12 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 12 / 2018

प्रति,

श्री के. जेड, इकबाल, (रिटायर्ड कार्यपालन यंत्री),
87, अशोक बिहार, नगर निगम कालोनी, भोपाल। (म.प्र.)

विषय :– प्रकरण क्रमांक BT-18/2018 दिनॉक 23.08.2018 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-18/2018 दिनॉक 23.08.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 31.12.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि भोपाल की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–18 / 2018 दिनांक 23.08.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 31.12.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी.18/2018

23.08.2018

श्री के. जेड, इकबाल, (रिटायर्ड कार्यपालन यंत्री), (आवेदक)
87, अशोक बिहार, नगर निगम कालोनी, भोपाल। (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
शहर संभाग (पूर्व) (अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
भोपाल। (म.प्र.)

आदेश

आज– 31.12.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/18 दिनॉक 23.08.18 को पंजीकृत कर दिनॉक 12.09.2018, 04.10.2018, 22.10.2018 एवं 19.11.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मेरे नाम से एक घरेलू तीन फेस का कनेक्शन हैं, जिसका नंबर 5896215111 हैं। मई माह 18 का मेरा बिल रूपये 10036/– का आया। मेरे द्वारा बिल की राशि 10036/– का चैक, जिसका नंबर 574556 हैं, के साथ मीटर टेस्टिंग का आवेदन के साथ रूपये 100/– इण्ड्रस्टीयल गेट जोन के प्रबंधक श्री अग्रवाल को दिनांक 16.05.2018 को दिया कि मेरा मीटर टेस्ट करवा दें। श्री अग्रवाल ने कहा कि मीटर यदि सही पाया गया तो मीटर की राशि जमा करना पड़ेगी। मैं भी मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में उप महाप्रबंधक के पद से सेवा निवृत्त हुआ हूँ, मैंने उनसे कहा कि मेरे समय में ऐसा कोई नियम नहीं था कि मीटर टेस्टिंग की रिपोर्ट ठीक आने पर राशि जमा होगी। ठीक हैं, यदि नियम आ गया हैं तो राशि जमा कर दूंगा।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

म.प्र. ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 9167/13/2013/तेरह भोपाल दिनांक 27.12.2013 के तहत मीटर टेस्टिंग लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–2–13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.01, दिनांक 10.04.2013 के अन्तर्गत आता हैं। प्रबंधक महोदय द्वारा मेरे आवेदन की कोई पावती नहीं दी गई। उनके द्वारा दिनांक 29.05.2018 को मेरा पुराना मीटर नंबर 110863 को निकलवाकर उसके स्थान पर दूसरा नया मीटर मेरे परिसर में स्थापित कर दिया गया तथा मीटर टेस्टिंग की रसीद रूपये 100/– दिनांक 01.06.2018 को काटी। उक्त रसीद का क्रमांक 126208 दिनांक 01.06. 2018 हैं। उक्त रसीद उनके द्वारा 21.06.2018 को उपलब्ध करवाई गई। मैंने उनसे मीटर टेस्टिंग की रिपोर्ट मांगी तो उनका जवाब था कि आपका मीटर 16% फास्ट(तेज) हैं। मैं आपको मीटर टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं दे सकता हूँ। आपको मीटर टेस्टिंग की रिपोर्ट स्टोर से मिलेगी। जिस दिनांक को मेरे परिसर से मीटर निकाला गया, उस समय मेरे मीटर में कुल रीडिंग 43374.6 यूनिट थीं।

लोक सेवा अधिनियम 2010 एवं ऊर्जा विभाग के परिपत्र के अनुसार शहरी क्षेत्र में मीटर टेस्टिंग की रिपोर्ट 22 दिवस के अन्दर टेस्टिंग की रिपोर्ट उपभोक्ता को उपलब्ध करवा देना चाहिए। उसके उपरांत संबंधित जोन प्रभारी पर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उनसे प्रतिदिन के हिसाब से प्रतिकर वसूल कर उपभोक्ता को दिलवाने का नियम हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे मीटर टेस्टिंग का आवेदन प्रबंधक इण्ड्रस्टीयल गेट जोन से मंगवाया जायें। प्रबंधक महोदय बिना आवेदन के मीटर टेस्टिंग की राशि जमा नहीं कर सकते हैं।

अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि प्रबंधक, इण्ड्रस्टीयल गेट जोन से मीटर टेस्टिंग की रिपोर्ट दिलवायी जायें। यदि वह नहीं देते हैं तो मीटर टेस्टिंग संभाग, भोपाल की रिपोर्ट मंगवाकर दिलवाई जावें तथा मेरे मीटर की कुल रीडिंग का 16% का क्रेडिट दिलवाते हुए मेरे बिल में करवाया जावें एवं रूपये 100 का भी समायोजन बिल में करवाया जायें। लोक गारंटी अधिनियम के तहत दिनांक 16.05.2018 के बाद 22 दिवस के बाद से आज दिनांक तक दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए प्रतिकार दिलवाया जायें।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में अपना लिखित कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया आवेदक द्वारा 04 बिन्दुओं पर जानकारी/कार्यवाही चाही गई जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार हैः–

1. उपभोक्ता द्वारा मीटर टेस्टिंग की रिपोर्ट चाही गई, जो कि दिनांक 04.10.2018 को हुई सुनवाई के दौरान माननीय फोरम के समक्ष 2 प्रतियों में पूर्व में ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

2. उपभोक्ता द्वारा 16.54 प्रतिशत फास्ट मीटर का क्रेडिट का बिल में समायोजन चाहा गया था जो कि उपभोक्ता के पिछले सत्रों की खपत के अनुसार दिनांक 16.10. 2018 माह सितम्बर 2018 के बिल में रूपये 3262/– का समायोजन किया जा चुका हैं।

3. लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही चाही गई– एम.पी.ई. आर.सी. के सप्लाई कोड 2004 की कण्डिका क्रमांक 8.21 व 8.17 के अनुसार मीटर,

टेस्टिंग फीस जमा होने के 07 दिवस के अन्दर मीटर टेस्ट हो जाना चाहिये। उपभोक्ता द्वारा मीटर टेस्टिंग फीस रसीद क्र. 126202 द्वारा दिनांक 01.06.2018 को जमा कराई गई थीं एवं दिनांक 08.06.2018 को मीटर टेस्ट किया जा चुका था।

4. मीटर टेस्ट में मीटर सही आने पर मीटर की कीमत जमा करने के नियम की सर्टिफाईड कापी आवेदक द्वारा चाही गई थीं। चूँकि आवेदक का मीटर जॉच में खराब/फास्ट निकला हैं। अतः आवेदक को मीटर की कीमत जमा करने की जरूरत नहीं हैं।

इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं, अतःमाननीय फोरम से निवेदन हैं कि प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

दिनांक 22.10.2018 को आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि :–

1. अनावेदक द्वारा जो बिल क्रेडिट किया गया हैं, उसमें कंपनी के नियम की सर्टिफाईड कापी उपलब्ध कराई जायें।

2. पूरी रीडिंग का 16.54 प्रतिशत क्रेडिट देना था तथा मीटर ओ.के. होने पर 100 रूपये का क्रेडिट भी देना था। कंपनी के द्वारा जो मीटर की डिटेल दी गई हैं, वह पुराने मीटर की न देकर नये मीटर 21513 की डिटेल दी गई हैं, जबकि मीटर क्रमांक 1108637 की डिटेल देना थीं।

3. कंपनी के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया हैं, उसमें लोक सेवा गारण्टी की गलत जानकारी प्रस्तुत की गई हैं। ऊर्जा विभाग के प्रपत्र क्रमांक 9167/13/2013/तेरह भोपाल दिनांक 27.12.2013 एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–2–13/2012/61/लो.से.प्र./पी.एस.जी.–01 शहरी क्षेत्र में 22 दिवस के अन्दर मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट उपभोक्ता को प्रदान कर देनी चाहिये, जैसा कि ऊर्जा विभाग के प्रपत्र में 6.4 में ''आवेदन लेते समय आवेदक का मोबाईल नंबर का उल्लेख भी कराया जावें ताकि आवश्यकतानुसार एसएमएस अलर्ट जारी किया जा सकें। 6.5– आवेदक का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) अधिनियम 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में संलग्न किया जायेगा।

मेरे द्वारा मीटर टेस्टिंग का जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, उसकी सर्टिफाईड कापी अगली सुनवाई दिनांक को न्यायालय के समक्ष उपभोक्ता को प्रस्तुत की

जावें तथा 29.05.2018 को मीटर रिप्लेस करा हैं, उसकी आर–3 की सर्टिफाईड कापी न्यायालय के समक्ष उपभोक्ता को प्रस्तुत की जावें।

दिनांक 19.11.2018 को अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि आवेदक द्वारा 03 बिन्दुओं पर जानकारी/कार्यवाही चाही गई थी, जो कि बिन्दुवार निम्नानुसार माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत हैः–

1. अगर टेस्टिंग के दौरान मीटर स्लो/फास्ट आता है तो एम.पी.ई.आर.सी. के सप्लाई कोड 2013 में कोई नियम नही है कि कब से कब तक बिल में क्रेडिट देना है, परन्तु फिर भी इस प्रकार के केस आने पर कंपनी के प्रेक्टिस, नये मीटर की खपत, परिसर का लोड व जहॉ से मीटर की रीडिंग असामान्य (एबनार्मल) आती है तो, वहॉ से बिल में क्रेडिट दिया जाना होता है, जो कि इनके बिल में रूपये 3262/– की क्रेडिट दी जा चुकी है।

2. जहॉ से रीडिंग असामान्य (एबनार्मल) आई है, वहॉ से रूपये 3262/– की क्रेडिट दी जा चुकी है एवं मीटर टेस्टिंग फीस रूपये 100/– बिल माह अक्टूबर 2018 में रिफण्ड किया जा चुका है। पिछली सुनवाई में उपभोक्ता को पुराने व नये मीटर की खपत का विवरण दिया जा चुका है, लेकिन आवेदक द्वारा सही तरह से देखा नही गया।

3. जो भी नियम बताया गया था वह एम.पी.ई.आर.सी. के सप्लाई कोड 2013 की कण्डिका 8.17 व 8.21 में उल्लेखनीय हैं।

आवेदक द्वारा मीटर टेस्टिंग का आवेदन व मीटर रिप्लेसमेण्ट डिस्पोजल की कॉपी आज प्रस्तुत की जा रही हैं।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि मेरे द्वारा मीटर टेस्टिंग हेतु दिनांक 21.05.2018 को आवेदन दिया गया था। जैसा कि अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष दिनांक 19.11.2018 को दस्तावेज दिये गये हैं। मीटर रिप्लेसमेण्ट दिनांक 29.05.2018 को किया गया। मीटर टेस्टिंग की रसीद दिनांक 01.06.2018 को काटी गई। मीटर ओ.के. होने की स्थिति में मीटर टेस्टिंग की फीस रूपये 100/– का क्रेडिट आवेदक को दिया जाता हैं, जो कि नहीं दिया गया हैं। एम.पी.ई.आर.सी. के सप्लाई कोड 2013 के 8.3 में कहीं यह नहीं लिखा हैं कि मीटर फास्ट होने पर क्रेडिट किस आधार पर दी जायेगी, केवल रिप्लेसमेण्ट की डेट दी गई हैं कि 15 दिन के अन्दर मीटर बदलना हैं। जबकि लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के परिपत्र 9167/13/2013/तेरह, भोपाल दिनांक 27.12.2013 के तहत मीटर टेस्टिंग लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–2–13/2012/61/लो.से.प्र./पी.एस.जी. 01 दिनांक 10.04.2013 के अन्तर्गत आता हैं। प्रबंधक महोदय द्वारा मेरे आवेदन की कोई पावती नहीं दी गई।

मुझे टोटल रीडिंग 43374.6 यूनिट का 16.54% के हिसाब से क्रेडिट दिया जावें। जब कंपनी का कोई नियम नहीं हैं तो किस आधार पर तीन महीने का क्रेडिट देंगे।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक द्वारा मीटर बदलने हेतु दिनांक 21.05.2018 को कार्यालय में आवेदन दिया गया था एवं निर्धारित समय सीमा में ही दिनांक 29.05.2018 को आवेदक का मीटर बदल दिया गया था। दिनांक 01.06.2018 को मीटर टेस्टिंग किये जाने हेतु आवेदक द्वारा रूपये 100/– जमा कराकर रसीद कटवाई गई थीं एवं दिनांक 08.06.2018 को मीटर टेस्ट कराया गया था। मीटर टेस्टिंग में मीटर डिफेक्टिव (फास्ट) पाये जाने पर नियमानुसार आवेदक को मीटर टेस्टिंग फीस की राशि रूपये 100/– का समायोजन, आवेदक के माह अक्टूबर 2018 के बिल में किया जा चुका है। इस प्रकार आवेदक को मीटर टेस्टिंग की फीस समायोजित की जाकर वापिस की जा चुकी हैं। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण किया जा चुका हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें।

आवेदक द्वारा प्रकरण में पुनः कथन किया गया कि दिनांक 21.05.2018 को मीटर टेस्टिंग के आवेदन के साथ बिजली के बिल माह मई 18 का 10036/– रूपये का चेक के साथ मीटर टेस्टिंग की फीस राशि रूपये 100/– श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल को दिये गये थें। उनके द्वारा न तो आवेदक की कोई पावती दी गई एवं न ही लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत मीटर टेस्टिंग की कोई कार्यवाही की गई। दिनांक 21.06.2018 को उक्त चैक आहरित हुआ हैं।

फोरम द्वारा आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं कथनों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष अपनी शिकायत के संबंध में कथन किया कि मेरा माह मई 2018 का बिल रूपये 10036/– आया था। मेरे द्वारा इंडस्ट्रियल गेट जोन भोपाल के प्रबंधक को बिल की राशि का चैक के साथ मीटर टेस्टिंग का आवेदन एवं टेस्टिंग शुल्क रूपये 100/– दिनांक 16.05.2018 को दिये कि मेरा मीटर टेस्ट करवा दे। ''म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.17'' में किये गये प्रावधान अनुसार ''कोई भी उपभोक्ता मापयंत्र की परिशुद्धता के बारे में शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को मापयंत्र का परीक्षण करने के लिये आवश्यक परीक्षण शुल्क के भुगतान द्वारा अनुरोध कर सकता है। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी मापयंत्र के परीक्षण की व्यवस्था करेगा।''

अनावेदक की ओर से प्रकरण की सुनवाई के दौरान आवेदक के आवेदन दिनांक 21.05.2018 की छायाप्रति प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक द्वारा दिनांक 21.05.2018 को आवेदन करने पर उनका मीटर दिनांक 29.05.2018 को बदलकर नया मीटर लगाया गया तथा निकाले गये मीटर की जांच, उपभोक्ता द्वारा मीटर परीक्षण शुल्क रसीद क्रमांक 126202 दिनांक 01.06.2018 से जमा करने के उपरांत मीटर टेस्टिंग लैब में दिनांक 08.06.2018 को करायी गयी।

अनावेदक द्वारा मीटर परीक्षण के संबंध में की गयी कार्यवाही फोरम द्वारा नियमानुसार सही पायी गयी तथा इस संबंध में आवेदक की शिकायत निराधार पायी गयी।

अनावेदक द्वारा आवेदक का मीटर परीक्षण लैब में टेस्ट कराये जाने पर मीटर 16.54 प्रतिशत तेज पाया गया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का मीटर लैब परीक्षण में 16.54 प्रतिशत तेज पाये जाने पर अनावेदक द्वारा

आवेदक के माह मार्च 2018 से जून 2018 की अवधि के बिलों को संशोधित कर आवेदक को राशि रूपये 3262/– का क्रेडिट प्रदान किया गया। इसके संबंध में आवेदक ने कथन किया कि जिस दिनांक को मेरे परिसर से मीटर निकाला गया उस समय मेरे मीटर में कुल रीडिंग 43374.6 यूनिट थी। अतः मुझे टोटल रीडिंग 43374.6 यूनिट का 16.56 प्रतिशत के हिसाब से क्रेडिट दिया जावे।

अनावेदक द्वारा आवेदक की मांग और आपत्ति पर कथन किया कि अगर टेस्टिंग के दौरान मीटर स्लो/फास्ट आता है तो एम.पी.ई.आर.सी. के सप्लाई कोड 2013 में कोई नियम नही है कि कब से कब तक बिल में क्रेडिट देना है, परन्तु फिर भी इस प्रकार के केस आने पर कंपनी की प्रेक्टिस, नये मीटर की खपत, परिसर का लोड व जहॉ से मीटर की रीडिंग असामान्य (एबनार्मल) आती है तो वहॉ से बिल में क्रेडिट दिया जाना होता है, जो कि आवेदक के बिल में रूपये 3262/– की क्रेडिट दी जा चुकी है।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक उपभोक्ता के परिसर का विद्युत भार जांच में 5765 वॉट पाया गया। फोरम द्वारा आवेदक से संबंधित उपभोक्ता पासबुक का अवलोकन करने पर पाया कि उपभोक्ता की विद्युत खपत माह जून 2018, मई 2018, अप्रैल 2018 एवं मार्च 2018 में क्रमशः 968 यूनिट, 1187 यूनिट, 546 यूनिट एवं 296 यूनिट थी। माह जून 2017, मई 2017, अप्रैल 2017 एवं मार्च 2017 में क्रमशः 1272 यूनिट, 1037 यूनिट, 466 यूनिट एवं 186 यूनिट थीं। इसी प्रकार जून 2016, मई 2016, अप्रैल 2016 एवं मार्च 2016 में क्रमशः 1296 यूनिट, 954 यूनिट, 504 यूनिट एवं 372 यूनिट रही। उपरोक्त खपत के विवरण से स्पष्ट होता है कि विगत तीन वर्षो में आवेदक की विद्युत खपत लगभग एक समान ही रही है। परंतु वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 के माह मार्च से जून की अवधि में मीटर में दर्ज खपत में आंशिक वृद्धि पाये जाने पर अनावेदक द्वारा उक्त माहों के बिलों को संशोधन योग्य पाये जाने पर संशोधन किया गया। जो फोरम के मत में विधिसंगत एवं न्याय संगत पाया गया।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनावेदक द्वारा आवेदक के मीटर की जांच उपरांत बिलों में की गयी बिल संशोधन की कार्यवाही फोरम द्वारा विधि एवं न्याय संगत पायी गयी। अतः प्रकरण निराकृत होकर समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 31.12.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 12 / 2018

प्रति,

श्री रतन सिंह राजौरिया,
मकान नंबर 6, सारथी परिसर,
सुरेश नगर, थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय : फोरम के निर्णय दिनॉक 18.12.2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–56 / 2018 दिनॉक 13.08.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक 18.12.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–56 / 2018 दिनांक 13.08.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 18.12.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.56/2018

13.08.2018

श्री रतन सिंह राजौरिया, (आवेदक)
मकान नंबर 6, सारथी परिसर,
सुरेश नगर, थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
शहर संभाग (पूर्व), (अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज– 18.12.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/56 दिनॉक 13.08.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 06.09.2018, 12.10.2018, 15.11.2018 एवं 14.12.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक के घर में घरेलू विद्युत सप्लाई का कनेक्शन क्रमांक 24249203–32–24–4907792000 है, थाटीपुर जोन ग्वालियर से संचालित है।
   2. यह कि, विद्युत का का मीटर सदैव चालू है, घर के बाहरी भाग में स्थापित है तथा घर के बाहर के दरवाजे बंद रहने पर भी मीटर की रीडिंग नोट करने के लिये पर्याप्त सुविधा है।
   3. यह कि, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड़ 2004 के अनुसार बिलिंग सायकाल 28, 30, 31 दिवस तथ डियू तारीख निश्चित की गई है।
   4. यह कि, दिनांक 15.07.2017 को विद्युत खपत की रीडिंग लेने के उपरांत 43 दिनों के बाद दिनांक

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

27.08.2017 को अगली मीटर रीडिंग लेकर 236 यूनिट खपत का बिल रूपये 1010/– का विद्युत कम्पनी द्वारा दिया गया, जिसमें एक माह (30, 31 दिनों) के आधार पर निर्धारित स्लैब के अनुसार विद्युत बिल की गणना की गई, जो कि अनुचित एवं गैर कानूनी है।

5. यह कि आवेदक ने दिनांक 05.09.2017 को आवेदन में अनुरोध किया था कि उपरोक्त बिल दो भागों में 30, 31 दिन एवं 11, 12 दिन के दिये जाये, परन्तु ऐसा नही किया गया।
6. यह कि विद्युत कम्पनी के उपरोक्त कृत्य के कारण आवेदक को लगभग रूपये 350/– की राशि का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा तथा आर्थिक क्षति हुई।
7. यह कि, इस सम्बंध में उपयंत्री/प्रबंधक थाटीपुर जोन ग्वालियर को दिनांक 05.09.2017, 26.09.2017, 06.01.2018 एवं 04.05.2018 को आवेदन दिए परन्तु निराकरण नही हुआ।
8. यह कि, माह दिसम्बर 2017 का रूपये 976/– का बिल समय पर पूरा भुगतान दिनांक 29.11.2017 को किया, परन्तु इसमें रूपये 1/– की कमी दर्शाते हुए और रूपये 5/– बकाया अधिभार दर्शाकर माह जनवरी 2018 के बिल में गलत तरीके से जोड़कर वसूले गये। दिनांक 06.01.2018 को आवेदन उपयंत्री थाटीपुर जोन को देने के बावजूद शिकायत का निराकरण नही किया गया।
9. यह कि आवेदक को म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमि. द्वारा निम्नलिखित आर्थिक क्षति पहुॅचाई हैः– रूपये 350/–, ख रूपये 6/– कुल रूपये 356/–
10. आवेदन है कि आवेदक को रूपये 356/– तथा रूपये 300/– क्षतिपूर्ति व शिकायतों के व्यय अदि कुल रूपये 356/– का भुगतान म.प्र.म.क्षे.वि.वि कं. लि. से कराने का आदेश पारित करे।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक को शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया कि उपभोक्ता श्री रतन सिंह राजौरिया मकान नंबर 06, सार्थी परिसर सुरेश नगर थाटीपुर द्वारा सर्विस क्रमांक 4907792000 के द्वारा अपने बिलों के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

श्रीमान जी 12.10.2018 को प्रकरण में हुई सुनवाई के दौरान प्रकरण से संबधित पूर्ण जबाव दिया जा चुका है एवं यहां पुनः उल्लेखनीय है कि माह दिसम्बर 2017 में उपभोक्ता को 538/– रूपये का बिल जारी किया गया था किन्तु उनके द्वारा 538/– के स्थान पर 537/– रूपये जमा कराये जाने के कारण कम्पनी नियमानुसार शेष राशि रू. 1/– पर नियमानुसार 5/– सरचार्ज लगाकर आया था जो सही है। साथ ही माह सितम्बर 2017 की रीडिंग को माह अगस्त 2017 तक विभाजित किया जाकर राशि रूपये 275/– का क्रेडिट दिया जा चुका है।

प्रकरण में अन्य को सुधार किया जाना उचित नही है। अतः प्रकरण समाप्त करने की कृपा करे।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

दिनांक 06.09.2018 को आवेदक ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि मुझे विद्युत बिल के सायकल 30 दिन के बजाय 42 दिन में विद्युत बिल दिया गया है, जिससे मेरा

विद्युत बिल की स्लैब बढ़ जाने के कारण विद्युत बिल की राशि बढ़ गई। जिससे रूपये 350/– अतिरिक्त भुगतान किया गया है, जिसकों आगामी बिलों में समायोजित किया जावे। विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान करने के बाद अगले बिल में पिछले बिल का एक रूपये शेष (बकाया) बताकर रूपये 5/– सरचार्ज गलत लगा दिया गया है। इसका भी समायोजन अभी तक नही किया गया है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त विद्युत बिलों में वसूली गई अधिक राशि का नगद भुगतान किया जावे या आगामी विद्युत बिलों में समायोजित किया जावे।

दिनांक 12.10.2018 को अनावेदक ने लिखित एवं मौखिक फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अनावेदक ने कथन किया कि माह सितम्बर 2017 में बिल वितरण हेतु नई कम्पनी फीड़ बैक इन्फ्रा के आने के कारण रीडिंग का समय अवधि (बिलिंग सायकल) बढ़ गई थी जिस कारण उपभोक्ता को सितम्बर 2017 के बिल 236 यूनिट का दिया गया था। जो कि 31 दिन से ज्यादा की रीडिंग थी। उस रीडिंग को अगस्त 2017 से सितम्बर 2017 दो माहों में बराबर विभाजित कर रूपये 275/– की क्रेडिट उपभोक्ता को दे दी गई। दिसम्बर 2017 में रूपये 538/– का विद्युत बिल उपभोक्ता को दिया गया था लेकिन उपभोक्ता ने रूपये 537/– का भुगतान करने के कारण शेष राशि रूपये 1 पर सिस्टम द्वारा सरचार्ज अगले माह बिल में लिया गया है। जो कि नियमानुसार है।

आवेदक ने अनावेदक के जबाव से असंतुष्ट होकर फोरम को लिखित में अपने जबाव में बताया कि आवेदक द्वारा विद्युत मीटर की वास्तविक खपत के आधार पर विद्युत देयक नही दिये जाते बल्कि मनमाने/मनगढत तरिके से दिये गये माह अगस्त 2017 में मात्र दो यूनिट वास्तविक खपत से कम का एवं माह सितम्बर 2017 का बिल वास्तविक खपत से अधिक तथा एक माह के चक्र से अधिक 42 दिनों का दिया गया।

अतः खपत का गणना निम्नानुसार है।

	दिनांक 15.7.18 से 14.08.18	दिनांक 15.8.2017 से 25.8.18
विद्युत खपत (यूनिट)	188	48
नियत प्रभार	रूपये 240.00	रूपये 50
ऊर्जा प्रभार	रूपये 864.80	रूपये 177
विद्युत शुल्क	रूपये 83.00	रूपये 01.00
इधन प्रभार	––	रूपये 20.00
मीटर किराया	रूपये 10.00	––
	रूपये 1197.80	रूपये 248.00

कुल 1445.80

सुरक्षानिधि ब्याज –8.87 = 1436.93

उपरोक्त अवधि दिनांक 15.07.2017 से दिनांक 25.08.2017 का संकेतिक (combin) बिल रूपये 1810.00 अतः स्पष्ट है कि रूपये 1810 (–) रूपये 1437 = रूपये 373.00 का अतिरिक्त बिल दिया गया है। जबकि रूपये 275/– की माह अक्टूबर 2018 के बिल में दी गई क्रेडिट अपर्याप्त है।

माह दिसम्बर 2017 का बिल रूपये 976/– का भुगतान निर्धारित अवधि में किया गया परन्तु माह जनवरी 2018 के बिल में रूपये 1/– शेष बताकर रूपये 5/– का अधिभार लगाकर रूपये 6/– की अवैध राशि दर्शाई गई है। दोनों माह के संलग्न बिलों की छायाप्रतियों का कृपया अवलोकन करे यह एक दम स्पष्ट है।

निवेदन है कि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. के निराकरण एक दम असत्य एवं आधार हीन है। कृपया उपरोक्त दर्शाये गये आकड़ो के अनुसार रूपये 373+6= रूपये 379/– का क्लेम स्वीकार करे नियमानुसार प्रार्थी को क्षति पूर्ति के रूप में यथासंभव अधिकतम राशि स्वीकार करे।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री रतनसिंह राजोरिया के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424903–32–24–4907792000, संयोजित विद्युत भार 1500 वाट, 6 सारथी परिसर सुरेश नगर ग्वालियर में स्थित है। के विद्युत देयक माह अगस्त बिल्ड़ सितम्बर 2017 (अवधि 15 जुलाई 2017 से 25 अगस्त 2017) 42 दिन की विद्युत खपत 236 यूनिट का रूपये 1808/– अनावेदक द्वारा आवेदक को जारी किया गया तथा माह सितम्बर 2017 का बिल रूपये 976/– का भुगतान निर्धारित अवधि में किया परन्तु माह जनवरी 2018 के बिल में रूपये 1/– शेष (बकाया) बताकर रूपये 5/– का अधिभार लगाकर रूपये 6/– की अवैध राशि दर्शाई गई से असहमत होकर फोरम से निवेदन किया कि उससे अधिक वसूल की गई राशि वापिस दिलाई जाये या आगामी विद्युत बिलों में समायोजित किये जाने का तथा क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदक को अनावेदक द्वारा जुलाई बिल्ड़ अगस्त 2017 का विद्युत देयक (15.07.2017 से 25.08.2017) 42 दिन की अवधि की विद्युत खपत 236 यूनिट राशि रूपये 1810 दिया गया। इसी प्रकार अगस्त बिल्ड़ सितम्बर 2017 का विद्युत देयक (25.08.2017 से 20.09.2017) 27 दिन की अवधि की विद्युत खपत 122 यूनिट का विद्युत बिल राशि रूपये 828.92 का दिया गया। अतः विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अनुसार घरेलू शहरी (नगरपालिका निगम शहर प्रचलित जनगणना प्रतिवेदन के आधार पर एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाए एवं जिला मुख्यालय नगर) प्रतिमाह 30 दिन या 31 दिन में मीटर वाचन का अंतराल होगा।

अतः नियमों अनुसार आवेदक के जुलाई बिल्ड़ अगस्त 2017 का विद्युत देयक 30 दिन की अवधि की विद्युत खपत 169 यूनिट का, इसी प्रकार माह अगस्त बिल्ड़ सितम्बर 2017 विद्युत देयक 189 यूनिट खपत के विद्युत देयक जारी करना चाहिये। अनावेदक द्वारा आवेदक को माह अगस्त 2017 एवं सितम्बर 2017 के विद्युत देयकों 236+2=238 यूनिट को बराबर दो माह में विभाजित कर 119 यूनिट प्रतिमाह विद्युत खपत लेक विद्युत देयक संशोधित करने के उपरांत रूपये 275/– की क्रेडिट आवेदक के विद्युत बिलों में कर दी गई है। जो की आवेदक को वास्तविक क्रेडिट दी जाने वाली क्रेडिट से ज्यादा है। अतः आवेदक को यह कहना सही नही है कि उसे 373/– रूपये की ज्यादा बिलिंग की गई है। जबकि आवेदक का मात्र रूपये 196. 38/– की ही ज्यादा बिलिंग की गई है।

आवेदक द्वारा माह दिसम्बर 2017 के विद्युत देयक राशि रूपये 538/– के विरूद्ध रूपये 537/– का ही भुगतान किया गया था। इसलिये शेष राशि रूपये 1 पर सरचार्ज रूपये 5/– लगाया गया है नियमानुसार है।

आवेदक की यह मांग की उसे हुई क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाए यह फोरम के अधिकार क्षेत्र में न होने के कारण आवेदक की क्षति पूर्ति फोरम द्वारा दी जाना उचित नही है।

आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 18.12.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 12 / 2018

प्रति,

श्री विधि चन्द्र अग्रवाल,
4, गली, महाराजा अग्रसेन मार्ग,
बजरिया भिण्ड (म.प्र.)

विषय : फोरम के निर्णय दिनॉक 19.12.2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–60 / 2018 दिनॉक 10.09.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक 19.12.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक, (सं. / सं.) संभाग म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भिण्ड (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–60 / 2018 दिनांक 10.09.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 19.12.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पालन प्रति वेदन की एक–एक प्रति फोरम एवं आवेदक को प्रेषित करे।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.60/2018

10.09.2018

श्री विधि चन्द्र अग्रवाल, (आवेदक)
4 गली, महाराजा अग्रसेन मार्ग,
बजजिरया भिण्ड (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग, (अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., भिण्ड
(म.प्र.)

आदेश

आज– 19.12.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/60 दिनॉक 10.09.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 12.10.2018, 15.11.2018 एवं 14.12.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मेरा घरेलू विद्युत कनेक्शन क्रमांक 2284201–77–3–4439432000 है। जो कि श्री विधि चंद्र अग्रवाल भिण्ड के नाम से है। जिसका नया मीटर जनवरी 2016 में बदला गया था। परन्तु आज दिनांक तक मीटर खपत के आधार पर बिल जारी नही किया गया है। अपितु आंकलित खपत के आधार पर हर माह बिल जारी किया जा रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों को कई बार व्यक्तिगत मिल कर एवं पत्रों के माध्यम से समस्या बताई गई परन्तु आश्वासन एवं चक्कर काटने के अलावा, ठोस निराकरण नही किया गया। आंकलित खपत का बिल कभी 181 यूनिट, कभी 200 यूनिट, कभी 210 यूनिट, कभी 230 यूनिट लगातार जारी

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

किया जा रहा है। जिसका कोई आधार भी नही बताया जाता है। जबकि कई मीटर रीडिंग लिखित रूप में विभाग को बताई जा चुकी है एवं विभाग का कर्मचारी भी दो–तीन बार रीडिंग ले जा चुका है। जिसमें माह अक्टूबर 2016 में रीडिंग 726, यूनिट, दिनांक 25.05. 2017 को मीटर रीडिंग 1115 यूनिट, दिनांक 28.06.2018 को 803 यूनिट, एवं वर्तमान में आज दिनांक 05.09.2018 को मीटर रीडिंग 1981 यूनिट है।

अतः फोरम से मेरा निवेदन है कि मेरी समस्या का निराकरण (मीटर खपत के आधार पर बिल जारी कर शीघ्र अतिशीघ्र कराने की कृपा करे। जिससे प्रार्थी बिल जमा कर समस्या से मुक्ति पा सके

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक को शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया कि उपभोक्ता श्री विधि चंद्र अग्रवाल जिसका सर्विस क्रमांक –77–3–4439432000 निवासी सदर बाजार भिण्ड का शिकायती आवेदन इस कार्यालय को इस आशय से प्राप्त हुआ है कि उनके सर्विस क्रमांक पर दिनांक 07.12.2018 को श्री पवन अहाके उपप्रबंधक द्वारा परिसर की जांच की गई उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग 2246 पाई गई है। उपभोक्ता को माह फरवरी 2016 से नवम्बर 2018 तक आंकलित खपत + मीटर खपत 6578 के देयक जारी हुये है। उपभोक्ता का मीटर क्रमांक 9301383 एवन 5.30 Amps जनवरी 2016 में स्थापित किया गया है। नवम्बर 2018 में विद्युत बिल में रीडिंग 2430 है। जब कि उपभोक्ता की वर्तमान रीडिंग 2246 है, माह फरवरी से नवम्बर 2018 तक बिल मीटर रीडिंग के अनुसार न होने से निरस्त किये गये है इसके स्थान पर मीटर खपत 2246÷34 माह में 66 यूनिट प्रति माह के हिसाब से राशि 12858.80 बिलिंग देकर शेष फाल्स रूपये –33779.20 देयक में वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन के बाद आगामी बिलों में कम कर दी जायेगी। सर्विस क्रमांक 77–3–4439432000 पर माह नवम्बर 2018 की स्थिति में रूपये 53853/– है, बिल की राशि में रूपये 33779.20 घटाकर भरने योग्य राशि रूपये 20073.80 है कुल राशि 33779.20 का समायोजन किया गया है।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–

दिनांक 12.10.2018 को आवेदक श्री मुकेश अग्रवाल फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं कथन किया कि श्री विधि चंद्र अग्रवाल के नाम से घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2284201–77–3–4439432000 है। जिसक विद्युत मीटर जनवरी 2016 में बदला गया था।

परन्तु आज दिनांक तक नये मीटर में दर्ज खपत के आधार पर हर माह बिल जारी नही किया जा रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारीयों को कई बार व्यक्तिगत मिलकर एवं लिखित आवेदनो के माध्यम से समस्या से अवगत कराया गया परन्तु आवश्वासनों एवं चक्कर काटने के आलावा ठोस निराकरण नही किया गया। आंकलित खपत के बिल 181, 200, 210 एवं 230 यूनिट लगाकर जारी किया जा रहा है। जिसका कोई आधार नही बताया गया। जबकि कई बार मीटर की रीडिंग लिखित रूप से विभाग में बताई जा चूकिं है। जिसमें अक्टूबर 2016 में रीडिंग 726 यूनिट दिनांक 25.05.2017 को मीटर रीडिंग 1115 यूनिट दिनांक 28.6. 2016 को 803 यूनिट एवं वर्तमान में आज दिनांक को 05.09.2018 को मीटर रीडिंग 1981 यूनिट है। अतः फोरम से निवेदन है कि समस्या का निराकरण करे।

अनावेदक द्वारा दिनांक 14.12.2018 को प्रकरण के जबाव में कथन किया कि दिनांक 07.12.2018 को श्री पवन आहाके उपप्रबंधक द्वारा परिसर की जांच की गई उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग 2246 पाई गई है। उपभोक्ता को माह फरवरी 2016 से नवम्बर 2018 तक आंकलित खपत + मीटर खपत 6578 के देयक जारी हुए है उपभोक्ता का मीटर क्रमांक 9301383 एवंन 5–30 एम्पीयर जनवरी 2016 में स्थापित किया गया है।

माह नवम्बर 2018 में विद्युत बिल में रीडिंग 2430 है, जबकि उपभोक्ता की वर्तमान रीडिंग 2246 है। माह जनवरी 2016 से नवम्बर 2018 तक विद्युत बिल मीटर रीडिंग अनुसार न होने से निरस्त किये गये। इसके स्थान पर मीटर में दर्ज रीडिंग 2246 के अनुसार मीटर में दर्ज खपत 2246/34 माह में प्रतिमाह 66 यूनिट के हिसाब से राशि रूपये 12858.80 बिलिंग देकर शेष फाल्स रूपये 33779.20/– देयक खारिज करने की कार्यवाही करने का अनुमोदन के बाद आगामी बिलों में कम कर दी जावेगी। सर्विस क्रमांक 77–3–449432000 पर माह नवम्बर 2018 की स्थिति में 53853 है बिल की राशि में रूपये 33779.20/– घटाकर भुगतान योग्य राशि रूपये 20073.80/– है। कुल राशि रूपये 33779.20/– का समायोजन किया गया है।

आवेदक ने अनावेदक द्वारा उसकी शिकायत के निराकरण में कि गई कार्यवाही से सहमत होते हुए संतुष्टि प्रकर कर फोरम के समक्ष कथन किया कि मेरी शिकायत का निराकरण कर दिया गया है आगे मुझे कुछ नही कहना प्रकरण समाप्त किया जावे।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक द्वारा श्री विधि चंद्र अग्रवाल के नाम से घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2284201–77–3–443942000, सदर बाजार भिण्ड में स्थित है। का विद्युत मीटर माह जनवरी 2016 में बदला गया था। मीटर बदलने के बाद अनावेदक द्वारा आवेदक के मीटर में दर्ज खपत के अनुसार विद्युत बिल न देकर आकलित खपत के विद्युत देयक नया मीटर लगाने के बाद से ही आज दिनांक तक दिये जाते रहे है। इसकी शिकायत अनावेदक को कई बार की गई इसके उपरांत भी उसके विद्युत बिलों में सुधार नही किया गया। से व्यथित होकर यह शिकायत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसे नया मीटर लगाये

जाने (जनवरी 2016) के बाद से आज तक मीटर में दर्ज खपत के अनुसार विद्युत देयक संशोधित कर दिये जाए ताकि वह उसका भुगतान कर सके।

आवेदक को उसके विद्युत मीटर जनवरी जनवरी 2016 में बदला गया। के बाद से नवम्बर 2018 तक 34 माह की अवधि में जारी आंकलित खपत के विद्युत देयक को निरस्त कर माह जनवरी 2016 में स्थापित नये विद्युत मीटर क्रमांक 9201383 में दिनांक 07.12.2018 को दर्ज रीडिंग 2246 लेते हुए नये मीटर में दर्ज विद्युत खपत 2246 यूनिट को उक्त अवधि जनवरी 2016 से 07.12.2018 तक 34 माह में बराबर विभाजित कर प्रतिमाह विद्युत खपत 66 यूनिट लेकर विद्युत देयक संशोधित कर भुगतान योग्य राशि के विद्युत देयक जारी किये जाना अनावेदक ने फोरम के समक्ष स्वीकार किया गया है जिस पर आवेदक ने संतुष्टि प्रकट करते हुए अनावेदक द्वारा उसकी शिकायत के निराकरण से फोरम के समक्ष सहमति प्रकट की गई। अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत के निराकरण में की गई कार्यवाही विधि एवं न्याय संगत पाई गई।

आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता है।

आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पालन प्रति वेदन की एक–एक प्रति फोरम एवं आवेदक को प्रेषित करे।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 19.12.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष